बिहार सरकार,
कृषि विभाग

पत्रांक सं0–04/पौ0सं0ड्रोन यो0–400/2026– पी॰पी॰एस॰ – 31 – कृ0 पटना दिनांक, – 02.07. 2026

प्रेषक,

कल्पना कुमारी
अपर सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

(+)
अनौपचारिक
रूप से
परामर्शित

द्वारा– वित्त विभाग, बिहार, पटना (+)

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2026–27 में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (DPR) अंतर्गत चतुर्थ कृषि रोड मैप के तहत कृषि ड्रोन से फसलों पर कीटनाशी एवं तरल उर्वरक का छिड़काव योजना के कार्यान्वयन हेतु कुल 1181.30440 लाख (ग्यारह करोड़ इक्यासी लाख तीस हजार चार सौ चालीस) रूपये की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति।**

आदेश– **स्वीकृत।**

वित्तीय वर्ष 2026–27 में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (DPR) अंतर्गत चतुर्थ कृषि रोड मैप के तहत कृषि ड्रोन से फसलों पर कीटनाशी एवं तरल उर्वरक का छिड़काव योजना के कार्यान्वयन हेतु कुल 1181.30440 लाख (ग्यारह करोड़ इक्यासी लाख तीस हजार चार सौ चालीस) रूपये की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. राज्य के सभी जिलों में ड्रोन द्वारा फसलों पर कीटनाशी एवं तरल उर्वरक छिड़काव कर कम समय में ज्यादा क्षेत्र में कीट/व्याधि/खरपतवार नियंत्रण हेतु कीटनाशी/फफूंदनाशी/खरपतवारनाशी/अन्य रासायन का छिड़काव करना एवं तरल उर्वरक यथा एन0पी0के0, एन0पी0के0 कनसोर्टिया, नैनो यूरिया, नैनो डी0ए0पी0, सूक्ष्म पोषक तत्वों, अन्य उर्वरकों का ड्रोन से छिड़काव कर कम पूँजी एवं कम समय में फसलों की उत्पादकता बढ़ाते हुए किसानों की आय में वृद्धि करना है।

3. कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार का पत्रांक– D.O.No.3-4/2025-PC दिनांक–14.01.2026 द्वारा PM-RKVY अंतर्गत 751.51 करोड़ रूपये का उद्व्यय संसूचित किया गया है।

4. प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के प्रावधानों के अनुसार उक्त कार्यक्रम को राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति की दिनांक–27.02.2026 की बैठक में स्वीकृति प्राप्त है।

5. भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के पत्र सं0 1–4/2026–RKVY-213 दिनांक–27.04.2026 द्वारा वित्तीय वर्ष 2026–27 में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत केन्द्रांश मद में कुल 137.92 करोड़ रू0 का उद्व्यय संसूचित किया गया है एवं कुल 68.96 करोड़ रू0 (सामान्य 57.10 करोड़ रू0, अनुसूचित जाति 10.96 करोड़ रू0 एवं अनुसूचित जनजाति 0.90 करोड़ रू0 विमुक्त किया गया है। विमुक्त राशि के विरूद्ध समानुपातिक राज्यांश सहित आवंटनादेश निर्गत कर राशि निकासी कर व्यय किया जायेगा।

6. वित्तीय वर्ष 2026–27 में कृषि ड्रोन से 38 जिलों के 285160 एकड़ फसलों (खाद्यान्न, दलहन, तेलहन, सब्जी, उद्यानिक एवं अन्य) में कीटनाशी/फफूंदनाशी/खरपतवारनाशी/पादप वृद्धिनियामक एवं तरल उर्वरक छिड़काव की स्वीकृति है।

D:\YOJNA 2026-27\B.A.O 1 (Gaurav) R\Drone Sanection (1181.30440).doc

7. कृषि विभाग के डी0बी0टी0 पोर्टल पर निबंधित कृषक ही योजना का लाभ लेने हेतु पात्र होंगे। राज्य के किसान कहीं से भी आनलाईन आवेदन अपने क्षेत्र के लिए कर सकते हैं।

8. योजना अंतर्गत इच्छुक किसानों को अनुदानित दर पर ड्रोन से कीटनाशी/तरल उर्वरक छिड़काव की सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी।

9. एक किसान को अधिकतम 15 एकड़ (खरीफ, रबी एवं गरमा में अलग–अलग) हेतु अनुदानित दर पर छिड़काव की सुविधा उपलब्ध किया जायेगा। एक किसान को प्रति सीजन अधिकतम दो छिड़काव हेतु अनुदान का लाभ दिया जायेगा।

10. योजनान्तर्गत किसानों के खेतो में कृषि ड्रोन से फसलों पर कीटनाशी एवं तरल उर्वरक छिड़काव की सुविधा पूर्व वित्त वर्ष 2025–26 में निविदा के माध्यम से राज्य स्तर से प्रकाशित निविदा सं0 01/पौ0सं0/2025 दिनांक 23.09.2025 में सफल कुल 04 सेवा प्रदाताओं यथा (मेसर्स0 एम0 वी0 इनफोकस प्रा0 लि0, टेक्नोग्राउन्ड प्रा0 लि0, वेद प्रभा एयरोस्पेस प्रा0लि0 एवं एयरस्पेस ग्लोबल प्रा0लि0) के द्वारा ही वर्तमान वर्ष 2026–27 में छिड़काव कराया जाएगा। उक्त निविदा में प्राप्त न्युनतम छिड़काव शुल्क {L-1} 419/रू प्रति एकड़ का 50 प्रतिशत अधिकतम 209.00 रू0 प्रति एकड़ संबंधित सेवा प्रदाता को SNA-SPARSH Module के माध्यम से भुगतान किया जायेगा तथा शेष छिड़काव शुल्क का भुगतान किसानों द्वारा संबंधित सेवा प्रदाता को किया जायेगा। इस घटक पर कुल 595.98440 लाख रू0 का व्यय किया जाएगा।

11. राज्य के सभी 38 जिलों में विभिन्न हानिकारक कीटों/व्याधियों/ खरपतवार के नियंत्रण हेतु जैव कीटनाशी/रासायनिक कीटनाशी/ खरपतवारनाशी/तरल उर्वरक के क्रय पर 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम 200.00 रू0 प्रति एकड़ में से जो कम हो का अनुदान प्रति रासायन/प्रति छिड़काव उपलब्ध कराया जायेगा। किसानों द्वारा कीट/व्याधि एवं खरपतवार नियंत्रण हेतु अलग–अलग आवेदन कर क्रमशः कीटनाशी/खरपतवारनाशी/फफूंदनाशी तथा तरल पोषक तत्व के छिड़काव पर पृथक रूप से अनुदान प्राप्त कर सकेंगे।

12. किसानों द्वारा प्रति फसल दो बार अनुदानित दर पर छिड़काव करा सकेंगे। जिससे कृषक अपने अनाज फसलों, दलहन, तेलहन तथा सब्जी एवं गन्ना में लगने वाले कीट–व्याधि/ खरपतवार का प्रबंधन कर सकेंगे। रासायनिक कीटनाशी का प्रयोग अंतिम उपाय के रूप में किया जा सकेगा। कृषकों के फसलों के समूचित विकास हेतु फसल की अवस्था के आधार पर तरल उर्वरक तथा कीट/व्याधि/ खरपतवार की अक्रांतता (ETL) के आधार पर कीटनाशी छिड़काव किया जा सकेगा। जिस पर कृषकों को अनुदान उपलब्ध कराया जा सकेगा। इस घटक पर कुल 570.32000 लाख रू0 का व्यय किया जाएगा।

13. जैव कीटनाशी/रासायनिक कीटनाशी/तरल उर्वरक के क्रय मूल्य का 50 प्रतिशत अधिकतम 200.00 रू0 प्रति एकड़ (प्रति रासायन/प्रति छिड़काव) में से जो कम हो, का भुगतान चयनित अनुज्ञप्ति कीटनाशी विक्रेता/सेवा प्रदाता को SNA-SPARSH Module के माध्यम से देय होगा।

14. राज्य स्तर पर कृषि में उपयोगी ड्रोन का जीवंत प्रत्यक्षण सह कार्यशाला का आयोजन संयुक्त निदेशक, पौधा संरक्षण, बिहार पटना द्वारा किया जाएगा, जिसमें देश के ड्रोन विनिर्माताओं/सेवा प्रदाताओं की सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी। इस कार्य हेतु कुल 15.00 लाख (पन्द्रह लाख) रू0 का व्यय किया जाएगा।

15. किसानों को अविलम्ब कीट/व्याधि नियंत्रण हेतु छिड़काव की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सेवा प्रदाता एजेंसी को अपने आवंटित जिलों के सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण कार्यालय में एक ड्रोन रखना अनिवार्य होगा तथा फसलों के पीक सीजन के अवधि में सभी सेवा प्रदाता को अपने आवंटित जिलों में कम से कम दो ड्रोन एवं ड्रोन पायलट रखना अनिवार्य होगा।

16. कृषि ड्रोन से कीटनाशी एवं तरल उर्वरक छिड़काव हेतु सेवा प्रदाता एजेंसी को नागर विमानन मंत्रालय द्वारा निर्गत ड्रोन नियम 2021, ड्रोन (संशोधन) नियम 2022, ड्रोन (संशोधन) नियम 2023 तथा कृषि

एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, के द्वारा ड्रोन के परिचालन हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) तथा फसलवार SOP परिचारित है जिसका शत प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। साथ ही गृह विभाग (विशेष शाखा), बिहार सरकार के विशेष सचिव के पत्रांक 8636 दिनांक–19.07.2023 (अनुसूची –03 रूप में संलग्न है।) से निर्गत आदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

17. सेवा प्रदाता एजेंसी द्वारा कीटनाशी अधिनियम 1968 एवं कीटनाशी नियामवली 1971 के Chapter VIII Rule 43 के अंतर्गत कीटनाशकों का हवाई अनुप्रयोग हेतु CIB & RC से अनुशंसित कीटनाशी का उपयोग अनुशंसित मात्रा में किया जायेगा।

18. सेवा प्रदाता एजेंसी के द्वारा विभाग के पदाधिकारी/कृषि वैज्ञानिक द्वारा अनुशंसित कीटनाशी का प्रयोग कृषकों के फसलों पर किया जाएगा।

19. सेवा प्रदाता एजेंसी के ड्रोन पायलट को नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डी0जी0सी0ए0), द्वारा रिमोट पायलट प्रमाण पत्र प्राप्त करने की अनिवार्यता होगी। डी0 जी0 सी0 ए0 द्वारा निबंधित ड्रोन का ही कृषि क्षेत्र में प्रयोग किया जाना अनिवार्य है। ड्रोन परिचालन हेतु ड्रोन का Digital Sky Platform पर पंजीकरण कराये बिना संचालन नहीं किया जा सकेगा।

20. सेवा प्रदाता एजेंसी के ड्रोन पायलट कीटनाशी के प्रयोग एवं दुष्प्रभाव से संबंधित विशेषज्ञता प्रशिक्षण NIPHM, राजेन्द्र नगर, हैदराबाद के द्वारा विकसित MODULE के अनुसार प्राप्त किये होंगे।

21. ड्रोन द्वारा पौधा संरक्षण छिड़काव कार्य कृषि विभाग के कर्मी यथा प्रखंड कृषि पदाधिकारी/कृषि समन्वयक/किसान सलाहकार/पौधा संरक्षण कर्मचारी/प्रखंड तकनीकी प्रबंधक/सहायक तकनीकी प्रबंधक की उपस्थिति में सेवा प्रदाता द्वारा किया जाएगा।

22. योजनान्तर्गत कुल संभावित मानव दिवस सृजन 22800 है।

23. इस योजना के सर्वोच्च नियंत्री पदाधिकारी कृषि निदेशक, बिहार, पटना होंगे एवं राज्य स्तरीय नोडल पदाधिकारी संयुक्त निदेशक, पौधा संरक्षण, बिहार, पटना होंगे।

24. योजना का कार्यान्वयन एजेन्सी/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, जिला स्तर पर संबंधित जिलों के सहायक निदेशक, पौधा सरंक्षण तथा राज्य स्तर पर संयुक्त निदेशक, पौधा संरक्षण, बिहार, पटना होंगे। जिलावार/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारीवार/कोटिवार कुल वित्तीय लक्ष्य 'अनुसूची–02' के रूप में संलग्न है।

25. योजना संबंधित सुसंगत विषय शीर्ष में कोटिवार बजट उपबंध केन्द्रांश मद में 82.80 : 15.89 : 1.31 के अनुपात में कोटिवार राशि किया गया है। उक्त अनुपात के अनुसार कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा योजना कार्यान्वित किया जायेगा।

26. भारत सरकार के नये मार्गदर्शिका के अनुसार RBI के ई–कुबेर प्लेटफॉर्म के द्वारा केन्द्र प्रायोजित योजना की धन राशि का परिसीमन/अंतरण/खर्च SNA-SPARSH Module के माध्यम से क्रियान्वयन किया जाना है।

27. अनुसूची 01 एवं 02 के अनुसार कार्यान्वयन एजेंसी सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण एवं संयुक्त निदेशक, पौधा संरक्षण, बिहार, पटना को राशि आवंटित की जायेगी।

28. वित्त विभाग के पत्रांक–2561 दिनांक–17.04.1998 का अनुपालन निकासी एवं व्ययन पदधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

29. प्रशासी विभाग द्वारा वित्तीय सीमा के अन्दर यथा आवश्यक संशोधन/परिवर्तन किया जा सकेगा।

30. कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए संधारित बैंक खाता एवं लेखा का समुचित संधारण किया जायेगा। SNA-SPARSH के माध्यम से राशि की निकासी एवं राशि का अंतरण किया जायेगा। कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा सहायता अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र

स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अन्दर महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जायेगा एवं इसकी प्रति कृषि विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी। साथ ही बिहार वित्तीय नियमावली के अनुरूप अंकेक्षित लेखा विवरणी उपलब्ध कराने की भी अनिवार्यता होगी। महालेखाकार बिहार को अंकेक्षण का अधिकार होगा।

31. केन्द्रांश एवं राज्यांश मद के लिए बजट शीर्ष का विवरण निम्न प्रकार हैः—

(राशि लाख रू0 में)

	बजट शीर्ष	उपबंधित राशि	केन्द्रांश	राज्यांश	स्वीकृत राशि
1. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (केन्द्रांश)					
(i)	मुख्य शीर्ष 2401–फसल कृषि कर्म–उपमुख्यशीर्ष–00– लघुशीर्ष –109–विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण–मांग सं०–01, उपशीर्ष–0216–राष्ट्रीयकृषि विकास योजना (आर०के०वी०वाई०) (ए०सी०ए०),विपत्रकोड–01–2401001090216, पी०एफ०एम०एस० कोड–9145, विषयशीर्ष–31–सहायता अनुदान–0216–31–06 सहायक अनुदान –गैर वेतन	23045.07	586.87203	391.24802	978.12005
(ii)	मुख्य शीर्ष 2401–फसल कृषि कर्म– उपमुख्यशीर्ष–00– लघुशीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना–मांग सं०–01,उपशीर्ष–0203–राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर०के०वी०वाई०) (ए०सी०ए०), विपत्रकोड–01–2401007890203, पी०एफ० एम० एस० कोड– 9145, विषयशीर्ष–31–सहायता अनुदान–0203–31–06 सहायक अनुदान– गैर वेतन	4458.68	112.62556	75.08371	187.70927
(iii)	मुख्य शीर्ष 2401–फसल कृषि कर्म–उपमुख्यशीर्ष–00– लघुशीर्ष–796– जनजातीय क्षेत्र उप योजना –मांग सं०–01, उपशीर्ष–0231–राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर०के० वी०वाई०) (ए०सी०ए०), विपत्रकोड– 01–2401007960231, पी०एफ०एम०एस०कोड–9145, विषयशीर्ष–31–सहायता अनुदान –0231–31–06 सहायक अनुदान–गैर वेतन	362.25	9.28505	6.19003	15.47508
	योग	**27866.00**	**708.78264**	**472.52176**	**1181.30440**

32. वित्त विभाग के संकल्प संख्या–12888 दिनांक–03.12.2024 तथा पत्रांक–201 दिनांक–13.03.2025 में निहित प्रावधान के आलोक में दिनांक–03.06.2026 को आयोजित बैठक में विभागीय स्थायी वित्त समिति की अनुशंसा प्राप्त है। वित्त विभाग के संकल्प संख्या–343 दिनांक–09.04.2026 में निहित प्रावधान के आलोक में दिनांक–17.06.2026 को विकास आयुक्त, बिहार की अध्यक्षता में आयोजित स्कीम स्क्रीनिंग समिति की बैठक में योजना प्रस्ताव पर अनुशंसा प्राप्त है। उक्त के आलोक में योजना कार्यान्वयन के प्रस्ताव एवं स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर माननीय मंत्री, कृषि का अनुमोदन संचिका संख्या –04/पौ0सं0ड्रोनयो0–400/2026 के पृ०सं०–33/टि0 पर दिनांक–01.07.2026 को प्राप्त है।

33. वित्त विभागीय परिपत्र संख्या–7355 वि0 (2) दिनांक 05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

34. स्वीकृत्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–04/पौ0सं0ड्रोनयो0–400/2026 के पृष्ठ सं0–32/टि0 पर दिनांक–25.06.2026 को प्राप्त है जिसका डायरी संख्या–422 दिनांक–25.06.2026 है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(कल्पना कुमारी)
अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

D:\YOJNA 2026-27\B.A.O 1 (Gaurav) R\Drone Sanection (1181.30440).doc

ज्ञापांक सं0—04 / पौ0सं0ड्रोनयो0—400 / 2026—प्रो0प्रो0एम0-31- / कृ0 पटना दिनांक - 02.07. 2026

प्रतिलिपिः— प्रभारी पदाधिकारी, अंकेक्षण, महालेखाकार (ले0 एंव ह0), बिहार, बीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक सं0—04 / पौ0सं0ड्रोनयो0—400 / 2026—प्रो0प्रो0एम0-31- / कृ0 पटना दिनांक - 02.07. 2026

प्रतिलिपिः— योजना एंव विकास विभाग / मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग एवं वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक सं0—04 / पौ0सं0ड्रोनयो0—400 / 2026—प्रो0प्रो0एम0-31- / कृ0 पटना दिनांक - 02.07. 2026

प्रतिलिपिः— सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक सं0—04 / पौ0सं0ड्रोनयो0—400 / 2026—प्रो0प्रो0एम0-31- / कृ0 पटना दिनांक - 02.07. 2026

प्रतिलिपिः— मान्नीय मंत्री, कृषि के आप्त सचिव / प्रधान सचिव, कृषि के प्रधान आप्त सचिव बिहार, पटना / कृषि निदेशक, बिहार, पटना / निदेशक, उद्यान, बिहार, पटना / सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी जिला पदाधिकारी / संयुक्त निदेशक, पौधा संरक्षण, बिहार, पटना / सभी जिला कृषि पदाधिकारी / सभी उप निदेशक पौधा संरक्षण / सभी सहायक निदेशक पौधा संरक्षण / बजट एवं योजना शाखा (सचिवालय एवं निदेशालय) कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित तथा उप कृषि निदेशक (सूचना) बिहार, पटना को विभाग के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

अनुसूची– 01

वित्तीय वर्ष 2026–27 में चतुर्थ कृषि रोड मैप तहत कृषि ड्रोन से फसलों पर कीटनाशी एवं तरल उर्वरक छिड़काव योजना का भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य।

क्र0 सं0	जिला का नाम	प्रखंड की संख्या	भौतिक लक्ष्य (एकड़ में)	वित्तीय लक्ष्य छिड़काव शुल्क का 50 प्रतिशत अधिकतम 209 00 रूपये प्रति एकड अनुदान (लाख रू0 में0)	छिड़काव हेतु कीटनाशी/तृणनाशी/फफूंदनाशी/तरल पोषक तत्व के क्रय पर अनुदान 50 प्रतिशत अधिकतम 200.00 रूपये प्रति एकड़ (प्रति रसायन/प्रति छिड़काव) मे से जो कम हो (लाख रू0 में0)	कुल योग (राशि लाख रू0 में)
1	2	3	4	5	6	7
1	पटना	23	12305	25.71745	24.61000	50.32745
2	नालन्दा	20	10700	22.36300	21.40000	43.76300
3	भोजपुर	14	7490	15.65410	14.98000	30.63410
4	रोहतास	19	10165	21.24485	20.33000	41.57485
5	बक्सर	11	5885	12.29965	11.77000	24.06965
6	कैमूर	11	5885	12.29965	11.77000	24.06965
7	गया	24	12840	26.83560	25.68000	52.51560
8	जहानाबाद	7	3675	7.68075	7.35000	15.03075
9	अरवल	5	2625	5.48625	5.25000	10.73625
10	नवादा	14	7490	15.65410	14.98000	30.63410
11	औरंगाबाद	11	5885	12.29965	11.77000	24.06965
12	भागलपुर	16	8560	17.89040	17.12000	35.01040
13	बांका	11	5885	12.29965	11.77000	24.06965
14	बेगुसराय	18	9630	20.12670	19.26000	39.38670
15	खगड़िया	7	3675	7.68075	7.35000	15.03075
16	मुंगेर	9	4770	9.96930	9.54000	19.50930
17	जमुई	10	5350	11.18150	10.70000	21.88150
18	लखीसराय	7	3675	7.68075	7.35000	15.03075
19	शेखपुरा	6	3150	6.58350	6.30000	12.88350
20	सारण	20	10700	22.36300	21.40000	43.76300
21	सिवान	19	10165	21.24485	20.33000	41.57485
22	गोपालगंज	14	7490	15.65410	14.98000	30.63410
23	मुजफ्फरपुर	16	8560	17.89040	17.12000	35.01040
24	वैशाली	16	8560	17.89040	17.12000	35.01040
25	सीतामढ़ी	17	9095	19.00855	18.19000	37.19855
26	शिवहर	5	2625	5.48625	5.25000	10.73625
27	पूर्वी चम्पारण	27	14445	30.19005	28.89000	59.08005
28	पश्चिमी चम्पारण	18	9630	20.12670	19.26000	39.38670
29	दरभंगा	18	9630	20.12670	19.26000	39.38670
30	मधुबनी	21	11235	23.48115	22.47000	45.95115
31	समस्तीपुर	20	10700	22.36300	21.40000	43.76300
32	सहरसा	10	5350	11.18150	10.70000	21.88150
33	सुपौल	11	5885	12.29965	11.77000	24.06965
34	मधेपुरा	13	6955	14.53595	13.91000	28.44595
35	पूर्णियाँ	14	7490	15.65410	14.98000	30.63410
36	किशनगंज	7	3675	7.68075	7.35000	15.03075
37	अररिया	9	4770	9.96930	9.54000	19.50930
38	कटिहार	16	8560	17.89040	17.12000	35.01040
	संयुक्त निदेशक, पौधा संरक्षण,बिहार, पटना					15.00000
कुल योग		534	285160	595.98440	570.32000	1181.30440

संयुक्त निदेशक, पौधा संरक्षण,
बिहार, पटना

कृषि निदेशक,
बिहार, पटना

अनुसूची– 2

वित्तीय वर्ष 2026–27 में चतुर्थ कृषि रोड मैप तहत कृषि ड्रोन से फसलों पर कीटनाशी एवं तरल उर्वरक छिड़काव योजना अतंर्गत जिलावार,कोटिवार एवं पदाधिकारीवार निकासी एवं व्यय का वित्तीय लक्ष्य। (राशि–लाख रू0 में)

क्र0 सं0	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	केन्द्रांश				राज्यांश				कुल
		सामान्य	अनु0 जाति	अनु0 जनजाति	केन्द्रांश योग	सामान्य	अनु0 जाति	अनु0 जनजाति	राज्यांश योग	
1	संयुक्त निदेशक, पौधा संरक्षण, बिहार, पटना	7.45200	1.43010	0.11790	9.00000	4.96800	0.95340	0.07860	6.00000	**15.00000**
2	सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण, पटना	25.00268	4.79822	0.39557	30.19647	16.66845	3.19881	0.26372	20.13098	**50.32745**
3	सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण,नालन्दा	21.74146	4.17236	0.34398	26.25780	14.49431	2.78157	0.22932	17.50520	**43.76300**
4	सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण,भोजपुर	15.21902	2.92066	0.24078	18.38046	10.14602	1.94710	0.16052	12.25364	**30.63410**
5	सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण,रोहतास	20.65438	3.96375	0.32678	24.94491	13.76959	2.64250	0.21785	16.62994	**41.57485**
6	सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण,बक्सर	11.95780	2.29480	0.18919	14.44179	7.97187	1.52987	0.12612	9.62786	**24.06965**
7	सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण,कैमूर	11.95780	2.29480	0.18919	14.44179	7.97187	1.52987	0.12612	9.62786	**24.06965**
8	सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण,गया	26.08975	5.00684	0.41277	31.50936	17.39317	3.33789	0.27518	21.00624	**52.51560**
9	सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण, जहानाबाद	7.46728	1.43303	0.11814	9.01845	4.97818	0.95535	0.07877	6.01230	**15.03075**
10	सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण, अरवल	5.33377	1.02359	0.08439	6.44175	3.55585	0.68240	0.05625	4.29450	**10.73625**
11	सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण, नवादा	15.21902	2.92066	0.24078	18.38046	10.14601	1.94710	0.16053	12.25364	**30.63410**
12	सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण, औरंगाबाद	11.95780	2.29480	0.18919	14.44179	7.97187	1.52987	0.12612	9.62786	**24.06965**
13	सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण, भागलपुर	17.39317	3.33789	0.27518	21.00624	11.59544	2.22526	0.18346	14.00416	**35.01040**
14	सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण, बांका	11.95780	2.29480	0.18919	14.44179	7.97187	1.52987	0.12612	9.62786	**24.06965**
15	सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण, बेगुसराय	19.56731	3.75513	0.30958	23.63202	13.04488	2.50342	0.20638	15.75468	**39.38670**
16	सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण, खगड़िया	7.46728	1.43303	0.11814	9.01845	4.97818	0.95535	0.07877	6.01230	**15.03075**
17	सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण, मुंगेर	9.69222	1.86002	0.15334	11.70558	6.46148	1.24001	0.10223	7.80372	**19.50930**
18	सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण, जमुई	10.87073	2.08618	0.17199	13.12890	7.24715	1.39079	0.11466	8.75260	**21.88150**
19	सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण, लखीसराय	7.46728	1.43303	0.11814	9.01845	4.97818	0.95535	0.07877	6.01230	**15.03075**
20	सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण, शेखपुरा	6.40053	1.22831	0.10126	7.73010	4.26702	0.81888	0.06750	5.15340	**12.88350**
21	सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण, सारण	21.74146	4.17236	0.34398	26.25780	14.49431	2.78158	0.22931	17.50520	**43.76300**
22	सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण, सिवान	20.65438	3.96375	0.32678	24.94491	13.76959	2.64250	0.21785	16.62994	**41.57485**
23	सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण, गोपालगंज	15.21902	2.92066	0.24078	18.38046	10.14601	1.94710	0.16053	12.25364	**30.63410**
24	सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण, मुजफ्फरपुर	17.39317	3.33789	0.27518	21.00624	11.59544	2.22526	0.18346	14.00416	**35.01040**
25	सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण, वैशाली	17.39317	3.33789	0.27518	21.00624	11.59544	2.22526	0.18346	14.00416	**35.01040**
26	सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण, सीतामढ़ी	18.48024	3.54651	0.29238	22.31913	12.32016	2.36434	0.19492	14.87942	**37.19855**
27	सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण, शिवहर	5.33377	1.02359	0.08439	6.44175	3.55585	0.68240	0.05625	4.29450	**10.73625**
28	सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण, पूर्वी चम्पारण	29.35097	5.63269	0.46437	35.44803	19.56731	3.75513	0.30958	23.63202	**59.08005**
29	सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण, पश्चिमी चम्पारण	19.56731	3.75513	0.30958	23.63202	13.04488	2.50342	0.20638	15.75468	**39.38670**
30	सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण, दरभंगा	19.56731	3.75513	0.30958	23.63202	13.04488	2.50342	0.20638	15.75468	**39.38670**
31	सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण, मधुबनी	22.82853	4.38098	0.36118	27.57069	15.21902	2.92066	0.24078	18.38046	**45.95115**
32	सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण, समस्तीपुर	21.74146	4.17236	0.34398	26.25780	14.49431	2.78158	0.22931	17.50520	**43.76300**
33	सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण, सहरसा	10.87073	2.08618	0.17199	13.12890	7.24715	1.39079	0.11466	8.75260	**21.88150**
34	सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण, सुपौल	11.95780	2.29480	0.18919	14.44179	7.97187	1.52987	0.12612	9.62786	**24.06965**
35	सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण, मधेपुरा	14.13194	2.71204	0.22359	17.06757	9.42130	1.80802	0.14906	11.37838	**28.44595**
36	सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण, पूर्णियाँ	15.21902	2.92066	0.24078	18.38046	10.14601	1.94710	0.16053	12.25364	**30.63410**
37	सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण, किशनगंज	7.46728	1.43303	0.11814	9.01845	4.97818	0.95535	0.07877	6.01230	**15.03075**
38	सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण, अररिया	9.69222	1.86002	0.15334	11.70558	6.46148	1.24001	0.10223	7.80372	**19.50930**
39	सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण, कटिहार	17.39317	3.33789	0.27518	21.00624	11.59544	2.22526	0.18346	14.00416	**35.01040**
	कुल योग	**586.87203**	**112.62556**	**9.28505**	**708.78264**	**391.24802**	**75.08371**	**6.19003**	**472.52176**	**1181.30440**

संयुक्त निदेशक, पौधा संरक्षण,
बिहार, पटना

कृषि निदेशक,
बिहार, पटना

~~अनु~~ अनुसूची- 03

पत्रांक– जी / हवाई अड्डा–12–01 / 2023–8636

बिहार सरकार
गृह विभाग (विशेष शाखा)
सरदार पटेल भवन, नेहरु पथ, पटना–23

प्रेषक,

के॰ सुहिता **अनुपम,**
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

निदेशक,
सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक–......17...जुलाई, 2023

विषय – **आम जनता एवं ड्रोन परिचालकों को** Drone Rule, 2021 **के प्रावधानों तथा** DigSKy Platform **पर** Drones **के उपयोग के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया के संबंध में जागरुक करने हेतु प्रेस विज्ञप्ति के प्रकाशन के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आम जनता एवं ड्रोन परिचालकों को **Drone Rule, 2021** के प्रावधानों तथा **DigSKy Platform** पर **Drones** के उपयोग के संबंध में जागरुक करने हेतु अनुमोदित प्रेस विज्ञप्ति की प्रति प्रकाशन हेतु संलग्न है।

अनुरोध है कि विषय की महत्ता को देखते हुए शीघ्रातिशीघ्र इसे सभी स्थानीय प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित करने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक– यथा वर्णित।

विश्वासभाजन,

17/07/23

(क॰ सुहिता अनुपम)
सरकार के विशेष सचिव।

बिहार सरकार
गृह विभाग (विशेष शाखा)
प्रेस विज्ञप्ति

वर्तमान परिवेष में विभिन्न क्षेत्रों में संचार, सुरक्षा, षिक्षा, वाणिज्य, कृषि, उद्योग, मनोरंजन, फोटोग्राफी तथा अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में ड्रोन का उपयोग किया जा सकता है।

DRONES के संचालन एवं सम्बन्धित गतिविधियों के प्रबंधन एवं नियमन के लिए Digital Sky Platform की व्यवस्था की गई है जो नागरिक उड्डयन महानिदेषालय (DGCA) के द्वारा संचालित एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है।

DRONE को UAV (Unmanned Aerial Vehicles) कहा जाता है क्योंकि यह एक मानव–रहित वायुयान प्रणाली है जो बिना किसी पायलट के उड़ाया जाता है।

<u>सामान्य जनों के लिए ड्रोन से सम्बन्धित आवश्यक जानकारी :–</u>

1. किसी मानव–रहित वायुयान प्रणाली (Drone) **को Digital Sky Platform पर पंजीकरण कराये बिना संचालित नहीं किया जा सकता है।**
2. सभी Drone Operators को ड्रोन परिचालन **हेतु Digital Sky Platform पर Form D-2 के माध्यम से ONLINE पंजीकरण कराना अनिवार्य है।** पंजीकरण के उपरान्त आवेदक को एक विषिष्ट पहचान संख्या आवंटित की जायेगी।
3. नैनो ड्रोन (वजन–250 ग्राम से कम या बराबर) से अधिक वजन वाले ड्रोन का परिचालन अनुज्ञप्ति (Drone Remote Pilot License) प्राप्त रिमोट पायलट द्वारा ही किया जा सकता है।
4. **रिमोट पायलट अनुज्ञप्ति के लिए पात्रता/प्रकियाः–**
   - i. जिसकी न्यूनतम उम्र 18 वर्ष या अधिकतम उम्र 65 वर्ष हो।
   - ii. किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से दसवीं की परीक्षा या उसके समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण की हो।
   - iii. नागरिक उड्डयन महानिदेषालय (DGCA) द्वारा प्राधिकृत किसी मान्यता प्राप्त रिमोट पायलट प्रषिक्षण संस्थान से सफलता पूर्वक प्रषिक्षण प्राप्त कर चुका हो।
   - iv. प्रषिक्षित रिमोट पायलट, प्रषिक्षण संगठन नियम–46 के अनुसार Digital Sky Platform पर प्रारूप डी–4 में रिमोट पायलट अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन कर सकेगा।
   - v. रिमोट पायलट अनुज्ञप्ति Digi Sky Platform पर सूचीबद्ध होगा जो 10 वर्षों की अवधि के लिए वैध रहेगा। 10 वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण तथा अनुज्ञप्ति धारक को पुनः प्रशिक्षण लेना आवश्यक होगा। नियमों का पालन नहीं करने पर अनुज्ञप्ति को निलम्बित अथवा रद्द किया जा सकता है।
5. Drone के संचालन एवं सुरक्षित प्रचालन हेतु वायु क्षेत्र (Air Space) को **03 जोन Red, Yellow एवं Green** में विभक्त किया गया है।

<u>Red Zone</u>:- रेड जोन का अर्थ भारत के भूमि क्षेत्रों या क्षेत्रीय जल के ऊपर या भारत के क्षेत्रीय जल से परे केन्द्र सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट कोई स्थापना या अधिसूचित बन्दरगाह सीमा से निर्धारित आकार का हवाई क्षेत्र है, जिसके भीतर केन्द्र सरकार के अनुमति के बिना मानव–रहित विमान प्रणाली का संचालन नहीं होगा। नियमानुसार भारत सरकार द्वारा हवाई अड्डा, मुख्य सरकारी प्रतिष्ठान/संस्थान, सैनिक संस्थान आदि के लिए जारी किए गये रेड जोन की सीमा निम्नलिखित हैः–

i. भारत की अन्तर्राष्ट्रीय सीमा से अन्दर 25 कि0मी0 तक का क्षेत्र,

ii. किसी भी संचालित हवाई अड्डा (सिविल, निजी अथवा सैनिक) की सीमा से 05 कि0मी0 परिधि तक का क्षेत्र,

iii. राज्य के सचिवालय/निदेशालय परिसर से 03 कि0मी0 परिधि तक का क्षेत्र,

iv. किसी भी सैनिक संस्थान/प्रशिक्षण केन्द्र की सीमा से 03 कि0मी0 परिधि तक का क्षेत्र,

v. किसी भी सरकारी मुख्य प्रतिष्ठान/संस्थान यथा तेल रिफाइनरी/थर्मल पावर स्टेशन आदि से 02 कि0मी0 परिधि तक का क्षेत्र,

vi. पर्यावरण के प्रति संवेदनशील क्षेत्र यथा राष्ट्रीय पार्क/ वन्य प्राणी/ पक्षी अभ्यारण्य जो मंत्रालय के द्वारा घोषित किये गये हों का हवाई क्षेत्र,

Yellow Zone:- येलो जोन का अर्थ, भारत की भूमि क्षेत्र या प्रादेशिक जल के ऊपर निर्धारित आकार का हवाई क्षेत्र जिसके भीतर बिना अनुमति के Drones का परिचालन प्रतिबंधित है। इन क्षेत्रों में ड्रोन उड़ाने हेतु सम्बन्धित हवाई यातायात नियंत्रण प्राधिकरण (Air Traffic Control) {यथा:–AAI, IAF, Navy, HAL} से अनुमति की आवश्यकता होगी।

(i) एक परिचालित हवाई अड्डे की परिधि से 05 कि0मी0 और 08 कि0मी0 के बीच स्थित जमीनी क्षेत्र, येलो जोन माना जाएगा।

(ii) एक परिचालित हवाई अड्डे की परिधि से 08 कि0मी0 और 12 कि0मी0 के बीच का हवाई क्षेत्र, 60 मीटर या 200 फीट से ऊपर येलो जोन माना जाएगा।

Green Zone:- ऐसे वायु क्षेत्र जो रेड अथवा येलो जोन से बाहर है, वह ग्रीन जोन कहलाता है। ग्रीन जोन में अधिकतम 400 फीट या 120 मीटर की ऊँचाई तक ड्रोन उड़ाने के लिए अनुमति की आवश्यकता नहीं है। हवाई अड्डे की परिधि से 08 से 12 कि0मी0 के क्षेत्र में अधिकतम 200 फीट या 60 मीटर की ऊँचाई तक का हवाई क्षेत्र ग्रीन जोन की श्रेणी में होगा जहाँ ड्रोन उड़ाने के लिए अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी।

{ नोट:– ग्रीन जोन में 400 फीट या 120 मीटर से ऊपर की ऊँचाई का हवाई क्षेत्र Yellow Zone में तबदील हो जाएगा, जहाँ ड्रोन उड़ाने के लिए अनुमति की आवश्यकता होगी। }

6. ड्रोन का परिचालन नियमानुसार एवं सुरक्षित ढ़ंग से किया जाएगा यथा किसी भी व्यक्ति की संरक्षा/सुरक्षा को खतरा ना हो ।

7. ड्रोन के संचालन एवं परिचालन हेतु सभी जिलों में जिलास्तरीय समिति का गठन किया गया है जिसमें जिला पदाधिकारी, अध्यक्ष–सह–नोडल पदाधिकारी हैं तथा वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, इसके सदस्य हैं ।

8. ड्रोन से सम्बन्धित नियमों का उल्लंघन करने पर ड्रोन को मार गिराया जा सकेगा तथा जप्त कर भा0द0वि0 एवं अन्य सुसंगत अधिनियमों के तहत इसके संचालक एवं मालिक के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

9. Drone परिचालन से सम्बन्धित विस्तृत नियम, प्रकिया एवं नियमन का विस्तृत उल्लेख नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित **Drones Rules-2021** में उल्लेखित है जो **DGCA** के **website-digitalsky.dgca.gov.in** पर उपलब्ध है।

ह0/13/3/23

सरकार के विशेष सचिव।